जागरण YAHOO! INDIA दैनिक जागरण e PAPER

आज से कई प्रमाण पत्रों के लिए आनलाइन आवेदन पटना, जागरण ब्यूरो : एक दिसम्बर से जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन लिये जायेंगे। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन दीपक कुमार ने बताया कि लोक सूचना का अधिकार कानून 15 अगस्त से लागू कर दिया गया है। उसके तहत अभी तक विभिन्न सेवाओं के लिए 55-56 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से 40 लाख आवेदन सिर्फ जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए है। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार कानून लागू करते हुए इसके आनलाइन सिस्टम भी जल्द जारी किये जाने की बात कही गयी थी। उसी संदर्भ में तत्काल 1 दिसम्बर से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आन लाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की गयी है। आवेदन काउंटर पर लोगों की भीड़ कम करने के लिए यह व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र देने की अवधि की मियाद भी कम करेंगे।श्री कुमार ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन लाइन मिल जाये। आने वाले दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की भी आनलाइन व्यवस्था करेंगे। आनलाइन आवेदन के तहत लोग घर बैठे इंटरनेट का प्रयोग कर अपना आवेदन नि:शुल्क जमा कर सकते हैं। नियम समय के बाद निर्धारित कार्यालय में जाकर अपना पहचान पत्र दिखा वहां पावती पर अपने हस्ताक्षर कर आवेदित प्रमाण पत्र पा सकते हैं। श्री कुमार ने कहा कि गांवों में वसुधा केन्द्र या इंटरनेट कैफे से भी आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वसुधा केन्द्रों में स्कैनिंग की सुविधा नहीं है इसलिए आनलाइन आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं प्राप्त किये जा सकते मगर आवेदन संबंधी मार्फ से प्राप्त जानकारी के आधार पर अंचल कार्यालय पूरे भौतिक सत्यापन एवं स्थल परीक्षण के आधार पर आवेदक को वह प्रमाण पत्र तब सुलभ करायेगा जब उसके पहचान पत्र से मिलान कर पावती पर हस्ताक्षर लेगा। 1 दिसम्बर के बाद से सभी आवेदकों को जारी यूनिक कोड के तहत उनका रिकार्ड विभाग में संरक्षित रहेगा जिसके आधार पर प्रमाण पत्र खोने के बाद भी सहजता से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति